न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनू

मु0न0	किस्म मु0	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
57/19	धारा 91	23.7.19	26.08.19

उनवान सरकार बनाम हजारी पुत्र नाथाराम जाति गुर्जर नि0 ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ईश्कपुरा की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 23 रकबा 7.40 किस्म गै0मु0 जोहड़ मे से 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमी बनाम हजारी पुत्र नाथाराम जाति गुर्जर नि0 ईश्कपुरा तहसील बुहाना ने अवैध रूप से बाजरा काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित हुआ। कोई साक्ष्य/सबुत पेश नही किया गया

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमी जो कानिन नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतः अवैध अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये बाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1.50 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- रू बतौर सारित करयम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कराणी/बेदखली/वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 26.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

[illegible] के पृष्ठ सं. 10
[illegible] 2019 [illegible] 30 [illegible]
[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner